INDIA FIVE RUPEES Rs.5
20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
CANCELLED
167

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.पीठ जबलपुर

I/अपील/कटनी/भू.रा./2017/3115

अपील क. /2017

अपीलार्थी — संजय कुमार तिवारी पिता प्रभुदयाल तिवारी उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी–बी. डी.अग्रवाल वार्ड, कटनी, म.प्र.

372

विरूद्ध

उत्तरार्थी — श्रीमती माया अग्रवाल पति अरूण अग्रवाल उम्र लगभग .... वर्ष, निवासी–बी.डी. अग्रवाल वार्ड, कटनी, म.प्र.

19 JUL 2017
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

अपील अंतर्गत धारा 44 (2) म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कटनी द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 68/ए–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहा है :–

अपील के तथ्य

1. यह कि, उत्तरार्थी/आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर मौजा कटनी प.ह.नं. 42, के अंतर्गत ख.नं. 1318/10 का रकवा 0.008 हैक्ट. भूमि के सीमांकन, नक्शा खसरा हेतु प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि का सीमांकन कराते हुये उत्तरार्थी/आवेदक के पक्ष में दिनांक 10.04.2017 को आदेश पारित कर दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी निम्न आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहा है :–

आधार

अ. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमांकन के लिये संयुक्त दल का गठन किया जिसमें नजूल राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व निरीक्षक के द्वारा प्रश्नगत भूमि का नाप किया जाना था लेकिन प्रश्नगत भूमि ख.नं. 1317/1 शासकीय भूमि होने के कारण नजूल निरीक्षक के द्वारा उक्त प्रतिवेदन में हस्ताक्षर नही किये केवल राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर थे, क्योंकि उत्तरार्थी द्वारा क्रय की गई भूमि ख.नं. 1318/2 विक्रय भूमि से ज्यादा रकवा था, इस तथ्य की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है

OATH COMMISSIONER FOR THE HIGH COURT JABALPUR SURESH KUMAR KUSHWAHA
19 JUL 2017

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

एक/अपील/कटनी/भूरा/2017/3115

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री मनीष जैन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार कटनी जिला कटनी के प्रकरण कमांक 68/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2017 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिरिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी कटनी जिला कटनी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 29/4/19 **अनुविभागीय अधिकारी कटनी जिला कटनी**	